No. A-11016/1/2017-CLS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
******

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi – 110001
Dated the 28th December, 2017

To,

The Registrar General
All High Courts,

Sub: Filling up the post of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bangalore -regarding.

Sir,

I am directed to say that the post of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court (CGIT-cum-LC) at Bangalore is to be filled up shortly in terms of provisions of The Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience, and other Conditions of Service of Members) Rules, 2017. A copy of Notification of the said rules i.e. No. G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017 is enclosed as **Annexure-I**.

2. According to these provisions, a person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer, unless he/she-

(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or

(b) he has, for a period of not less than three-years, been a District Judge or an Additional District Judge; or

(c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, management, industry, public affairs, administration, labour relations, industrial disputes or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Industrial Tribunal.

3. The terms and conditions of presiding officers so appointed will be as per Rules indicated under para 1 above.

Contd...p/2

4. It is requested that a panel of names of applicants who are willing to be appointed as Presiding Officer of CGIT-cum-LC at Bangalore and fulfill the eligibility conditions as per Notification No. G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017, may please be sent to this Ministry within a period of one month from the date of issue of this letter.

5. A set of three (03) proformae (**Annexure-II, III** & **IV**) are to be appended with **each** application. A check-list (copy placed at **Annexure-II** regarding the documents/copies enclosed may be sent with each application. The Bio-Data of each of the officers may be furnished in the proforma placed at **Annexure-III** to be filled in by the concerned officer and **attested by the concerned Registrar General.** The nomination of each of the officers may be forwarded along with an abstract of ACRs (if applicable to the officer) of the last five years duly certified in the proforma placed at **Annexure-IV**, along with the ACR dossiers and vigilance clearance (if applicable to the officer).

6. It is requested that a panel of names of judicial officers who fulfill the requirements, as mentioned above and are willing to take up the assignment on terms and conditions mentioned in the enclosed Rules (Annexure-I) may please be furnished to this Ministry along with the proformae (Annexure-II , III & IV).

7. Nominations with complete proformae and verified copies of ACR dossiers (if applicable) will only be entertained by the Ministry.

8. That this Circular may be given wide publicity so that sufficiently large number of candidates apply for the post.

Yours faithfully,

(Ajay Malik)
Under Secretary to the Government of India

Copy to:

1. Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi with the request that a panel of names of Judicial Officers (retired or serving) who are willing to be appointed to the post of the Presiding Officer of the CGIT-cum-LC, Bangalore may kindly be forwarded to this Ministry.

2. All Dy. Chief Labour Commissioners (C) with the request to take up the matter with the Registrars of the High Courts concerned for wide publicity of the circular.

Encl: Annexure-I, II , III & IV.

(Ajay Malik)
Under Secretary to the Government of India

Annexure-I

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2017/ ज्येष्ठ 11, 1939
No. 442] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2017/ JYAISTHA 11, 1939

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2017

सा.का.नि. 514(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) नियम, 2017 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये नियम, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, सदस्य को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिनियम अभिप्रेत है ;

(ख) "लेखा सदस्य", "प्रशासनिक सदस्य", "न्यायिक सदस्य", "विशेषज्ञ सदस्य", "विधि सदस्य", "राजस्व सदस्य" या "तकनीकी सदस्य" से, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन नियुक्त लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है ;

(ग) "अपील अधिकरण", "प्राधिकरण" या "अधिकरण" का वही अर्थ है, जो उनका अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों में है ;

(घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य" से लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, प्रतिभूति अपील अधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या उपाध्यक्ष है ;

(च) "पीठासीन अधिकारी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ठ के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी और केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है ;

(छ) "खोजबीन-सह-चयन समिति" से नियम 4 में निर्दिष्ट खोजबीन-सह-चयन समिति अभिप्रेत है ;

(ज) "उपाध्यक्ष" से, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनका संबंधित अधिनियमों में है ।

3. सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं वह होंगी, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति.—(1) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के संबंध में उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(2) उस मंत्रालय/विभाग, जिसके अधीन यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण का गठन किया जाता है या स्थापित किया जाता है, का सचिव, भारत सरकार खोजबीन-सह-चयन समिति का संयोजक होगा ।

(3) खोजबीन-सह-चयन समिति अपनी सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(4) अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी कि खोजबीन-सह-चयन समिति या चयन समिति में कोई रिक्ति या अनुपस्थिति है ।

(5) इस नियम की कोई बात, यथास्थिति, अपील अधिकरण, अधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व उस रूप में कार्य कर रहा है, को लागू नहीं होगी ।

5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.—किसी व्यक्ति को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा दृष्टया योग्य घोषित न कर दिया जाए, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

6. किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र.—कोई सदस्य, केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परंतु सदस्य जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा उसे पहले पद छोड़ने की अनुज्ञा न प्रदान की जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या जब तक कि उसके उत्तरवर्ती की उस पद पर सम्यकत: नियुक्ति न कर दी जाए या उसकी पदावधि की समाप्ति, इनमें जो भी पूर्वत्तर हो, अपने पद पर बना रहेगा ।